

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी-श्री समदरसिंह भाटी, आर.ए.एस

दिनांक - 02/01/24

क्रमांक रीडर/2023/24

प्रार्थनी

बनाम

अप्रार्थीगण

1 बाबुदेवी पत्नी नीम्बाराम
जाति राजपूत निवासी
गालाबेरी तहसील व जिला
बाड़मेर।


1 बाबुदेवी पत्नी रेखाराम 2 कंवराराम 3 गुणेशाराम पिसरान
भेराराम 4 तुलसीदेवी पत्नी भेराराम 5 बगताराम 6 लामुराम
पिसरान भेराराम जाति जाट 7 चन्द्रप्रकाश पुत्र सागराराम 8 नरपत
9 पपुराम पिसरान सागराराम 10 पारूदेवी पत्नी सागराराम 11
मीनाक्षी 12 शैलेन्द्र पिसरान सांवताराम जाति रावणा राजपूत 13
टीकमाराम 14 मेवाराम पिसरान चेतनराम 15 विशनाराम दत्तक पुत्र
मोतीराम जाति जाट निवासी हेमावास शिवकर तहसील बाड़मेर
ग्रामीण जिला बाड़मेर 16 तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :- 42/2023

दिनांक- 22/12/23

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा हेमावास पटवार क्षेत्र शिवकर तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर
के खसरा संख्या 1191/889 रकबा 1.9425 हैक्टेयर भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते
हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त
नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थनी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए
एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व
विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में
नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रुपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रुपये मात्र निर्धारित
की जाती है, जो प्रार्थनी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।


(समदरसिंह भाटी)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर
दिनांक- 02/01/24

क्रमांक :- रीडर/2023/25-28

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी शिवकर तहसील बाड़मेर ग्रामीण को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड
उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. बाबुदेवी पत्नी नीम्बाराम जाति राजपूत निवासी गालाबेरी तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी बाबुदेवी पत्नी रेखाराम वगैराह जाति जाट निवासी हेमावास शिवकर तहसील बाड़मेर ग्रामीण
जिला बाड़मेर।


उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर